

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/रा.का. 00002/2018/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 26 AUG 2019

—आदेश—

श्री राज कुमार यादव (पैतृक विभाग-सार्वजनिक निर्माण विभाग), अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद, श्रीगंगानगर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से इनके पैतृक विभाग-सार्वजनिक निर्माण विभाग को लौटाई जाती हैं एवं निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) में प्रस्तुत करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राम नासदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)  
E-mail dsadmn\_rdd@yahoo.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास राज. जयपुर।
5. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया श्री राज कुमार यादव, अधि.अभि.(अभि.) को तत्काल पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) हेतु कार्यमुक्त करावें।
9. श्री राज कुमार यादव, अधिशाषी अभियन्ता(अभि.), जिला परिषद, श्रीगंगानगर को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तीन दिवस में कार्यमुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में आप अपने आप को स्वतः कार्यमुक्त मानते हुए पैतृक विभाग में उपस्थिति प्रस्तुत करें अन्यथा स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(राजेश कुमार शर्मा)  
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)